

विचार बिन्दु

कस्तूरी को अपनी मौजूदगी कसम खाकर सिद्ध नहीं करनी पड़ती;
गुण स्वयं ही सामने आ जाते हैं। -अज्ञात

फर्नेस ऑयल और पिटकोक ईंधन बन रहा मौत का वाहक

प्रदूषण को लेकर दुनिया में भले ही कितनी भी चिंता व्यक्त की जाती हो, कितने ही बड़े-बड़े सम्मेलन होते हों, दुनिया के देशों के प्रमुखों द्वारा कितनी ही साझा बैठकें कर चिंता व्यक्त की जाती हो, कितनी ही गंभीरता का ताना-बाना बुना जाता हो पर धरातल पर देखे तो परिणाम बेहद चौंकाने वाले और गंभीर चिंता का कारण हैं। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर की 2024 की रिपोर्ट की ही माने तो वायु प्रदूषण अकारण मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। ग्लोबल एयर की ही रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में सालाना 81 लाख लोग वायु प्रदूषण के कारण मौत का शिकार हो जाते हैं। यदि भारत की ही बात करें तो सालाना 21 लाख लोग वायु प्रदूषण के कारण अपनी जिंदगी की जंग हार जाते हैं। कहा तो यहां तक जाता है कि दुनिया के देशों में होने वाली 8 मौतों में से एक मौत का प्रमुख कारण वायु प्रदूषण है।

ऐसा नहीं है कि सरकारें या न्यायालय या विश्व के राजनेता इससे चिंतित नहीं हों, अपितु लाख गंभीरताओं के बावजूद जो परिणाम सामने आ रहे हैं वह कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था की पोल खोल कर ही रख रहे हैं। अब भारत की ही बात की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2017 में एक जनहित याचिका पर निर्णय करते हुए फर्नेस ऑयल और पिटकोक के उपयोग पर रोक लगा दी गई। खासतौर से एनसीआर से जुड़े प्रदेशों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तरप्रदेश में यह रोक लगाई गई। इसी के क्रम में उत्तराखण्ड, महाराष्ट्र सहित देश के अनेक प्रदेशों में इसको लेकर गाइड लाईन जारी की जा चुकी है। पर इस सबके बावजूद पेट्रोलियम प्लानिंग एण्ड एनालिसिस सेल के आंकड़े साफ-साफ चिह्नित हुए नजर आ रहे हैं। इस साल ही अप्रैल, 24 से दिसंबर, 24 तक के आंकड़े बताते हैं कि रोक व सख्ती के बावजूद नौ माह में ही 49 लाख 95 हजार मैट्रिक टन फर्नेस ऑयल और एलएसएचएस का घरेलू उपयोग हुआ है। इसी तरह से पिटकोक का उपयोग 161 लाख 12 हजार मैट्रिक टन रहा है। तस्वीर और एक पहलू यह है कि 1997-98 में देश में 114 लाख 94 हजार मैट्रिक टन फर्नेस ऑयल और एलएसएचएस का उपयोग हो रहा था वहीं 1997-98 में 2 लाख 77 हजार मैट्रिक टन पिटकोक का उपयोग हो रहा था। इसके बाद हालांकि फर्नेस ऑयल व अन्य के उपयोग में उतार चढ़ाव रहा है पर जहां तक पिटकोक के उपयोग में बेतहासा बढ़ोतरी हुई है। खासतौर से रियल एस्टेट के उपयोग को कई गुणा बढ़ा दिया है वहीं पिछले कुछ सालों से फर्नेस ऑयल व एलएसएचएस का उपयोग में कोई खास कमी नहीं आ रही है। बल्कि सारी बात साफ होती जा रही है कि वायु प्रदूषण में प्रमुख भूमिका निभा रहे इन दोनों ईंधनों के उपयोग पर जो कार्रवाई न्यायालय के आदेशों की भावना और एनजीटी के प्रयासों से होना चाहिए था वह कम से कम धरातल पर तो दिखाने दे रही है।

दरअसल देखा जाए तो फर्नेस ऑयल व पिटकोक गैरनवीकरणीय जीवाश्म ईंधन है। विशेषज्ञों का तो यहां तक मानना है कि इनका अनुचित स्टोरेज तक भूमि और भूजल दोनों को नुकसान पहुंचाने वाला है। जब स्टोरेज करने मात्र से नुकसान पहुंचाने वाला है तो इस ईंधन को जलाने से कितना नुकसान हो सकता है इसकी गंभीरता को आसानी से समझा जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि फर्नेस ऑयल के ईंधन के रूप में उपयोग से ग्रीन हाउस में हानिकारक कम फैलते हैं और देखा जाए तो हवा में जहर घुलने लगता है। गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि पिटकोक और फर्नेस ऑयल में सल्फर है। पिटकोक में 65 हजार से 75

हजार पीपीएम और फर्नेस ऑयल में 22 हजार पीपीएम स्तर है। वायु प्रदूषण में पीपीएम का मतलब साफ है कि हवा में गैस के प्रति मिलियन भाग है। रसायन विज्ञान में वायुमण्डल के गैसों की सांद्रता को बताने के लिए पीपीएम का प्रयोग किया जाता है। फर्नेस ऑयल या पिटकोक के ईंधन के रूप में उपयोग से नदी-नालें, जलवायु, पेड़-पौधें, यहां तक कि पशु-पक्षी भी प्रभावित हो रहे हैं। जहां तक आम आदमी की बात है तो फर्नेस ऑयल के ईंधन के रूप में उपयोग से वायु प्रदूषण तो होता ही है साथ ही सीधे-सीधे यह हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। इससे फेफड़ों की क्षमता कम होने के साथ ही सांस जनित्र रोग यहां तक कि फेफड़ों के कैंसर की संभावनाएं तेजी से बनती हैं। दमा, क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव फ्लेमोनरी डिजीज जिसे सीओपीडी भी कहते हैं और फेफड़ों के कैंसर की संभावना बन जाती है। इसके साथ ही इससे जुड़ी अन्य गंभीर बीमारियां जकड़ने लगती हैं। यह सब जानकारी में होने के बावजूद फर्नेस ऑयल या पिटकोक जिसे पेट्रोलियम कोक भी कह सकते हैं के उपयोग में जिस तरह से कमी आनी चाहिए थी या जिस तरह से इनके विकल्प के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए था वह नहीं पाया और सब कुछ होने और सरकार के पास आंकड़े होने के बावजूद इनके उपयोग पर प्रभावी रोक नहीं लगा पा रही है।

दरअसल सस्ता ईंधन होने के कारण फर्नेस ऑयल आदि का उपयोग इण्डस्ट्रीज में तो हो ही रहा है मेट्रो सिटीज ही नहीं बल्कि अब तो छोटे-बड़े शहरों में भी होतल्लों, ढाबों, रेस्टाओं, बड़े चाट-पकोड़ी आदि फास्ट फूड बना कर बेचने वालों द्वारा आम होता जा रहा है। मजे की बात यह है कि फर्नेस ऑयल जैसे वायु प्रदूषण का कारक और स्वास्थ्य के लिए अति गंभीर ईंधन का उपयोग हो रहा है और इसकी पुष्टि पेट्रोलियम प्लानिंग एण्ड एनालिसिस सेल के आंकड़ें सिद्ध कर रहे हैं। ऐसे में एनजीटी, राज्यों के पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण क्षेत्र में कार्य कर रहे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को सक्रिय भागीदारी निभानी होगी। एक और जहां अवैधरनेस की आवश्यकता है तो फर्नेस ऑयल का उपयोग करने वालों को समझाइस के साथ ही आवश्यकता पड़ने पर सख्ती भी करनी होगी। एक और देश ग्रीन एनर्जी और ईंधन के रूप में एलपीजी से भी एक कदम आगे सीएनजी और पीएनजी की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है वहीं कुछ लोग निजी लाभ के चक्कर में वायु प्रदूषण फैलाकर सीधे आम आदमी के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले ईंधन फर्नेस ऑयल और पिटकोक आदि का संशोधन उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में सरकार और गैरसरकारी संस्थाओं का दायित्व हो जाता है कि वह आगे आएँ और इनके प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ। यह समय की मांग और प्रकृति को विकृत होने से बचाने के लिए भी आवश्यक हो जाता है।

-अतिथि सम्पादक,
डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
(वरिष्ठ लेखक)

राशिफल गुरुवार 30 जनवरी, 2025

माघ मास, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि, गुरुवार, विक्रम संवत् 2081, धनिष्ठा नक्षत्र शुक्रवार प्रातः 5:51 तक, व्यतिपात योग सायं 6:33 तक, बवे करण सायं 4:11 तक, चन्द्रमा सायं 6:35 से कुम्भ राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मकर, चन्द्रमा-मकर, मंगल-मिथुन, बुध-मकर, गुरु-वृष, शुक-मीन, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज चन्द्र दर्शन, उत्तर श्रौचोन्मति है। आज से गुप्त नवरात्रा प्रारम्भ होगा। आज व्यतिपात पुण्य और पंचक सायं 6:31 से आरम्भ होगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 8:58 तक, चर 11:19 से 12:40 तक, लाभ-अमृत 12:40 से 3:21 तक, शुभ 4:38 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 7:17, सूर्यास्त 6:03

मेष	सिंह	धनु
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।	स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। विवादित मामलों से दूर रहने लगेगी। अनहोनी की आशंका से बचा हुआ मन का भय दूर होगा। आज व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्य बनने लगेगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आर्थिक मामलों में परिचितों से सहयोग मिल सकता है।

वृष	कन्या	मकर
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटक कार्य बनने लगेगी। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।	परिवार में शुभ-मांगलिक-महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा।	मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज महत्वपूर्ण कार्यों में उचित सफलता मिल सकती है। आज आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेगी।

मिथुन	तुला	कुंभ
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आज बनते कार्य विगड़ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।	घर-परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक बृद्धि हो सकती है। अर्नाल कार्यों में समय खराब होगा। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा।

कर्क	वृश्चिक	मीन
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में सामूहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।	परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होगा। परिवर्तनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा।	आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में बृद्धि होगी। संभावित खोले से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।

बहुमंजिला इमारतों से झांकती समस्याएं...



अविनाश जोशी

आजकल बहुमंजिला इमारतों की जीवन शैली आम आदमी को पसंद आ रही है अमूमन हर नौकरी पेशा आदमी पलैट खरीद के अपने मकान का सपना पूरा कर लेता है। अगर बात सुरक्षा की करे तो बहुमंजिला इमारतें ही एक मात्र समाधान नजर आता है। आज जब हमारे देश में एकल परिवार का बोलबाला है एवम हर व्यक्ति अपनी पत्नी एवम बच्चों के साथ अलग से घर खरीदने का सपना संजोए अपने भविष्य का निर्माण करता है तब बहुमंजिला इमारत एक मात्र विकल्प के रूप में समाधान नजर आता है। आधुनिकता एवम विलासिता के सभी संसाधन इस तरह की इमारतों में संभव हो सकते हैं एवम सीमित आय में उच्च स्तरीय जीवन शैली का आनंद उठा सकते हैं। बहुमंजिला इमारतें अपार्टमेंट से लेकर टाउनहाउस तक विभिन्न प्रकार के आवास विकल्प प्रदान करके सामुदायिक जीवन को बढ़ा सकती हैं। यह विभिन्न कृषुभूमियों और आय स्तरों के लोगों का मिश्रण बनाता है, विविधता और समुदाय की भावना को बढ़ावा देता है।

बढ़ती जनसंख्या के साथ-साथ बहुमंजिला इमारतों का प्रचलन भी बढ़ता जा रहा है। चीन में 23 मई, 2005 को गिराई गई 16 बहुमंजिला इमारतें इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं जिनका पुनर्निर्माण और ऊंचा उठाकर किया जाएगा ताकि

वहां के निवासियों को अधिकाधिक आवासीय सुविधा प्राप्त हो सके, परंतु यह देखने में आता है कि बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोग यद्यपि एक ही दिशा की ओर खुलते मकानों में रहते हैं तथापि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में अत्यधिक अंतर होता है।

एक ऊंची इमारत अपने कई स्तरों के साथ खड़ी होती है, आमतौर पर 12 से 40 मंजिलों तक होती है, और लिफ्ट और सीढ़ियों के माध्यम से सुविधाजनक पहुंच प्रदान करती है। जबकि एक मिड-राइज़ बिल्डिंग एक मध्यवर्ती ऊंचाई प्रदान करती है, जिसमें 4 से 12 मंजिलें होती हैं, जो इसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती है। एक ऊंची इमारत या एक बहुमंजिला इमारत में त्रि-आयामी डिजाइन होता है और इसे अक्सर हल्के स्टील का उपयोग करके बनाया जाता है। लंबवत परिस्तरण के लिए लिफ्ट और सीढ़ियों के एकीकरण के साथ, ये संरचनाएं ऊंचाई में हो सकती हैं और अस्पतालों, वाणिज्यिक मॉल या अपार्टमेंट के रूप में सेवा करने सहित विभिन्न उद्देश्यों को पूरा कर सकती हैं। इसकी व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक भवन के लिए डिजाइन और दृष्टिकोण का सावधानीपूर्वक विश्लेषण और सत्यापन किया जाता है। बहुमंजिला इमारतों को उनकी त्वरित निर्माण प्रक्रिया वाणिज्यिक निर्माण के लिए इष्टतम विकल्प साबित हुआ है। यह पूर्वनिर्मित सामग्री के उच्च स्तर, कठोर डिजाइन परिशुद्धता, पूरी तरह से गुणवत्ता नियंत्रण उपार्यों और निर्माण के लिए एक जोड़िम-प्रतिकूल दृष्टिकोण का उपयोग करके संभव बनाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पारंपरिक निर्माण विधियों की तुलना में तेजी से पूरा होने की दर है।

बहुमंजिला इमारतें भी शहरी फैलाव को कम करने में योगदान करती हैं। ऊपर की ओर निर्माण करके, शहर घनत्व बढ़ा सकते हैं और अधिक कॉम्पैक्ट और टिकाऊ समुदायों का निर्माण कर सकते हैं। यह, बदले में, विकास के लिए आवश्यक भूमि को मात्रा को कम करता है, हरित स्थानों को संरक्षित करता है और शहर के कार्बन फुटप्रिंट के कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है। आधुनिक बहुमंजिला बनाने से पूर्व ही यदि वास्तु नियमों का पालन कर निर्माण किया जाए तो काफी लोगों के जीवन की विसंगतियां दूर की जा सकती हैं। वास्तु शास्त्र में अधिक ऊंची इमारतों को प्रशस्त नहीं माना जाता है, किंतु समय की मांग अनुरूप नियमों का अधिकाधिक पालन आवश्यक हो जाता है। बहुमंजिला इमारतों में नीचे दुकानें एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा ऊपर आवास बनाए जाते हैं।

सामान्य नियम हैं कि प्रथम तल की ऊंचाई से ऊपर तल की ऊंचाई 1/12वां हिस्सा कम होनी चाहिए परंतु बहुमंजिला इमारतों में ऐसा संभव नहीं है। अतः उससे सबसे ऊपर मंजिल की ऊंचाई को कम करने का प्रावधान है। नैऋत्य, दक्षिण, अग्नि (दक्षिण-पूर्व) और वायु (उत्तर-पश्चिम) दिशा को छोड़कर जल की टंकी रखी जानी चाहिए तथा बोरिंग उत्तर अथवा उत्तर-पूर्व क्षेत्र में ही की जानी चाहिए। पलैटस के द्वारों को भी उत्तर दिशा, मध्य अथवा पूर्व में खोले जाने का प्रयास यथासंभव करना चाहिए।

बहुमंजिला इमारतें शहरी फैलाव के नियंत्रण में सहायता प्रदान करती हैं। अमूमन बहुमंजिला इमारतें ज्यादा मंजिलों कब निर्माण करके, शहर घनत्व बढ़ा सकते हैं और अधिक कॉम्पैक्ट और टिकाऊ समुदायों का निर्माण कर सकते हैं। यह, हरित स्थानों को संरक्षित करता है और शहर के कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है। बहुमंजिला इमारतें भी एक मंजिला संरचनाओं की तुलना में अधिक ऊंचा कुशल होती हैं। क्योंकि उनकी छतें

हैं। ऊपर की ओर निर्माण करके, शहर घनत्व बढ़ा सकते हैं और अधिक कॉम्पैक्ट और टिकाऊ समुदायों का निर्माण कर सकते हैं। यह, बदले में, विकास के लिए आवश्यक भूमि को मात्रा को कम करता है, हरित स्थानों को संरक्षित करता है और शहर के कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है। आधुनिक बहुमंजिला बनाने से पूर्व ही यदि वास्तु नियमों का पालन कर निर्माण किया जाए तो काफी लोगों के जीवन की विसंगतियां दूर की जा सकती हैं। वास्तु शास्त्र में अधिक ऊंची इमारतों को प्रशस्त नहीं माना जाता है, किंतु समय की मांग अनुरूप नियमों का अधिकाधिक पालन आवश्यक हो जाता है। बहुमंजिला इमारतों में नीचे दुकानें एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा ऊपर आवास बनाए जाते हैं।

सामान्य नियम हैं कि प्रथम तल की ऊंचाई से ऊपर तल की ऊंचाई 1/12वां हिस्सा कम होनी चाहिए परंतु बहुमंजिला इमारतों में ऐसा संभव नहीं है। अतः उससे सबसे ऊपर मंजिल की ऊंचाई को कम करने का प्रावधान है। नैऋत्य, दक्षिण, अग्नि (दक्षिण-पूर्व) और वायु (उत्तर-पश्चिम) दिशा को छोड़कर जल की टंकी रखी जानी चाहिए तथा बोरिंग उत्तर अथवा उत्तर-पूर्व क्षेत्र में ही की जानी चाहिए। पलैटस के द्वारों को भी उत्तर दिशा, मध्य अथवा पूर्व में खोले जाने का प्रयास यथासंभव करना चाहिए।

बहुमंजिला इमारतें शहरी फैलाव के नियंत्रण में सहायता प्रदान करती हैं। अमूमन बहुमंजिला इमारतें ज्यादा मंजिलों कब निर्माण करके, शहर घनत्व बढ़ा सकते हैं और अधिक कॉम्पैक्ट और टिकाऊ समुदायों का निर्माण कर सकते हैं। यह, हरित स्थानों को संरक्षित करता है और शहर के कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है। बहुमंजिला इमारतें भी एक मंजिला संरचनाओं की तुलना में अधिक ऊंचा कुशल होती हैं। क्योंकि उनकी छतें

हैं। ऊपर की ओर निर्माण करके, शहर घनत्व बढ़ा सकते हैं और अधिक कॉम्पैक्ट और टिकाऊ समुदायों का निर्माण कर सकते हैं। यह, हरित स्थानों को संरक्षित करता है और शहर के कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है। बहुमंजिला इमारतें भी एक मंजिला संरचनाओं की तुलना में अधिक ऊंचा कुशल होती हैं। क्योंकि उनकी छतें

हैं। ऊपर की ओर निर्माण करके, शहर घनत्व बढ़ा सकते हैं और अधिक कॉम्पैक्ट और टिकाऊ समुदायों का निर्माण कर सकते हैं। यह, बदले में, विकास के लिए आवश्यक भूमि को मात्रा को कम करता है, हरित स्थानों को संरक्षित करता है और शहर के कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है। आधुनिक बहुमंजिला बनाने से पूर्व ही यदि वास्तु नियमों का पालन कर निर्माण किया जाए तो काफी लोगों के जीवन की विसंगतियां दूर की जा सकती हैं। वास्तु शास्त्र में अधिक ऊंची इमारतों को प्रशस्त नहीं माना जाता है, किंतु समय की मांग अनुरूप नियमों का अधिकाधिक पालन आवश्यक हो जाता है। बहुमंजिला इमारतों में नीचे दुकानें एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा ऊपर आवास बनाए जाते हैं।

सामान्य नियम हैं कि प्रथम तल की ऊंचाई से ऊपर तल की ऊंचाई 1/12वां हिस्सा कम होनी चाहिए परंतु बहुमंजिला इमारतों में ऐसा संभव नहीं है। अतः उससे सबसे ऊपर मंजिल की ऊंचाई को कम करने का प्रावधान है। नैऋत्य, दक्षिण, अग्नि (दक्षिण-पूर्व) और वायु (उत्तर-पश्चिम) दिशा को छोड़कर जल की टंकी रखी जानी चाहिए तथा बोरिंग उत्तर अथवा उत्तर-पूर्व क्षेत्र में ही की जानी चाहिए। पलैटस के द्वारों को भी उत्तर दिशा, मध्य अथवा पूर्व में खोले जाने का प्रयास यथासंभव करना चाहिए।

बहुमंजिला इमारतें शहरी फैलाव के नियंत्रण में सहायता प्रदान करती हैं। अमूमन बहुमंजिला इमारतें ज्यादा मंजिलों कब निर्माण करके, शहर घनत्व बढ़ा सकते हैं और अधिक कॉम्पैक्ट और टिकाऊ समुदायों का निर्माण कर सकते हैं। यह, हरित स्थानों को संरक्षित करता है और शहर के कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है। बहुमंजिला इमारतें भी एक मंजिला संरचनाओं की तुलना में अधिक ऊंचा कुशल होती हैं। क्योंकि उनकी छतें

हैं। ऊपर की ओर निर्माण करके, शहर घनत्व बढ़ा सकते हैं और अधिक कॉम्पैक्ट और टिकाऊ समुदायों का निर्माण कर सकते हैं। यह, हरित स्थानों को संरक्षित करता है और शहर के कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है। बहुमंजिला इमारतें भी एक मंजिला संरचनाओं की तुलना में अधिक ऊंचा कुशल होती हैं। क्योंकि उनकी छतें

हैं। ऊपर की ओर निर्माण करके, शहर घनत्व बढ़ा सकते हैं और अधिक कॉम्पैक्ट और टिकाऊ समुदायों का निर्माण कर सकते हैं। यह, बदले में, विकास के लिए आवश्यक भूमि को मात्रा को कम करता है, हरित स्थानों को संरक्षित करता है और शहर के कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है। आधुनिक बहुमंजिला बनाने से पूर्व ही यदि वास्तु नियमों का पालन कर निर्माण किया जाए तो काफी लोगों के जीवन की विसंगतियां दूर की जा सकती हैं। वास्तु शास्त्र में अधिक ऊंची इमारतों को प्रशस्त नहीं माना जाता है, किंतु समय की मांग अनुरूप नियमों का अधिकाधिक पालन आवश्यक हो जाता है। बहुमंजिला इमारतों में नीचे दुकानें एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा ऊपर आवास बनाए जाते हैं।

सामान्य नियम हैं कि प्रथम तल की ऊंचाई से ऊपर तल की ऊंचाई 1/12वां हिस्सा कम होनी चाहिए परंतु बहुमंजिला इमारतों में ऐसा संभव नहीं है। अतः उससे सबसे ऊपर मंजिल की ऊंचाई को कम करने का प्रावधान है। नैऋत्य, दक्षिण, अग्नि (दक्षिण-पूर्व) और वायु (उत्तर-पश्चिम) दिशा को छोड़कर जल की टंकी रखी जानी चाहिए तथा बोरिंग उत्तर अथवा उत्तर-पूर्व क्षेत्र में ही की जानी चाहिए। पलैटस के द्वारों को भी उत्तर दिशा, मध्य अथवा पूर्व में खोले जाने का प्रयास यथासंभव करना चाहिए।

बहुमंजिला इमारतें शहरी फैलाव के नियंत्रण में सहायता प्रदान करती हैं। अमूमन बहुमंजिला इमारतें ज्यादा मंजिलों कब निर्माण करके, शहर घनत्व बढ़ा सकते हैं और अधिक कॉम्पैक्ट और टिकाऊ समुदायों का निर्माण कर सकते हैं। यह, हरित स्थानों को संरक्षित करता है और शहर के कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है। बहुमंजिला इमारतें भी एक मंजिला संरचनाओं की तुलना में अधिक ऊंचा कुशल होती हैं। क्योंकि उनकी छतें

हैं। ऊपर की ओर निर्माण करके, शहर घनत्व बढ़ा सकते हैं और अधिक कॉम्पैक्ट और टिकाऊ समुदायों का निर्माण कर सकते हैं। यह, हरित स्थानों को संरक्षित करता है और शहर के कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है। बहुमंजिला इमारतें भी एक मंजिला संरचनाओं की तुलना में अधिक ऊंचा कुशल होती हैं। क्योंकि उनकी छतें

प्रदेश के करीब पांच हजार स्कूलों को 18 फरवरी को मिलेंगे प्रिंसिपल

हाल ही में प्रमोट हुए प्रिंसिपल की काउंसलिंग के लिए शिक्षा विभाग ने शेड्यूल जारी किया

बीकानेर, (निर्सं।) प्रदेश के करीब पांच हजार स्कूलों को 18 फरवरी तक प्रिंसिपल मिल जाएंगे। इसके लिए हाल में प्रमोट हुए प्रिंसिपल की काउंसलिंग के लिए शिक्षा विभाग ने शेड्यूल जारी कर दिया है। स्कूलों में ये फेरबदल उस समय किया जा रहा है, जब राज्यभर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की परीक्षा शुरू होने वाली है।

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की विभागीय पदोन्नति समिति की ओर से साल 2023-24 की प्राचार्य की डीपीसी के बाद चयन संबंधी आदेश 24 जनवरी को जारी किए थे। इसकी

सूची विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने बताया कि पदोन्नत होने वाले कार्मिकों के पदस्थापन आदेश जारी करने से पहले शाला दर्पण पर ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया का कार्यक्रम जारी किया गया है। इसके अनुसार 30 जनवरी से 3 फरवरी तक विशेष वर्ग की जानकारी के लिए निर्धारित प्रपत्र जारी कर सूचना प्राप्त की जाएगी। वहीं 4 से 6 फरवरी तक वरीय सूचना के आधार पर अस्थाई इरीयता सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन करते हुए वरीयता सूची के

30 जनवरी से 3 फरवरी तक विशेष वर्ग की जानकारी के लिए निर्धारित प्रपत्र जारी कर सूचना प्राप्त की जाएगी

संबंध में आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी। इसी श्रृंखला में 7 फरवरी को अंतिम आपत्तियों के आधार पर प्रकाशन करते हुए स्थाई वरीयता सूची का प्रकाशन और सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप रिक्तियों का प्रकाशन किया जाएगा। मोदी ने बताया कि 10 फरवरी को एनआईसी, शाला दर्पण जयपुर-

एनआईसी एवं शाला दर्पण द्वारा रिजल्ट अथवा परीक्षा उपरत रिपोर्ट तैयार की जाएगी और 18 फरवरी को रिजल्ट अथवा रिपोर्ट के आधार पर पदस्थापन संबंधी आदेश जारी किए जाएंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया में विशेष श्रेणी के पदोन्नत कार्मिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस बार पदोन्नत पर प्रतिस्थापन के आदेशों में कर्मचारियों के फोटो भी लगाए जाएंगे। इसके मद्देनजर कार्मिकों को शाला दर्पण में अपने से संबंधित प्रपत्र 10 में अपना नवीनतम फोटो अपलोड करना होगा।

दुकान में अवैध रूप से संचालित किया जा रहा क्लिनिक सीज़

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी मात्रा में एक्सपायरी इंजेक्शन और दवाइयां बरामद की

अजमेर, (कासं।) स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भूषाबाय को बड़ी कार्रवाई करते हुए सीएमएचओ के नेतृत्व में टीम ने भूषाबाय में अवैध रूप से संचालित क्लिनिक को सीज़ किया है। क्लिनिक विना लाइसेंस के संचालित किया जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग की टीम को बड़ी मात्रा में क्लिनिक से एक्सपायरी इंजेक्शन और दवाइयां भी बरामद हुई हैं। सीएमएचओ डॉ. ज्योत्सना रंगा ने बताया कि विभाग को भूषाबाय

क्षेत्र में एक अवैध रूप से क्लिनिक संचालित होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर वह खुद टीम के साथ मौके पर पहुंची, जहां पर एक दुकान के अंदर क्लिनिक खुला हुआ था। दुकान के डिस्पेंसरी या शटर पर कोई लाइसेंस नंबर नहीं लिखा हुआ था। सीएमएचओ ने बताया कि समर विश्वास नाम के व्यक्ति की ओर से क्लिनिक संचालित किया जा रहा था, जिससे लाइसेंस मांगा गया तो

भूषाबाय में बिना लाइसेंस के संचालित किया जा रहा था क्लिनिक उसके पास न ही कोई ड्रग लाइसेंस और न ही आरएनपी सर्टिफिकेट मिला था। युवक ने सिर्फ एक फुड लाइसेंस, वह भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का दिया, वह केवल 12वें पास पढ़ा हुआ है। टीम ने दुकान में रखी

दवाइयां चेक की तो भारी मात्रा में एक्सपायरी इंजेक्शन और दवाइयां बरामद हुई। दुकान में डिस्पेंसरी गैरहा भी लगी हुई थी। टीम ने कार्रवाई करते हुए दुकान को सीज़ किया है। युवक ने पृष्ठताछ में 20 साल से दुकान संचालित होना बताया है। दुकान को सीज़ कर दवाइयां और अन्य सामान बन्द किए गए हैं। मामले में युवक के खिलाफ फुड और ड्रग्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इंजेक्शन भी एंटीबायोटिक और जुकाम वगैरा

सहित अन्य बीमारियों में काम आने वाले इंजेक्शन मिले हैं। दुकान के अंदर एक पूरा क्लिनिक तैयार कर रखा था, जिससे कि सभी को वहां पर उपचार दिया जा सके। युवक की दुकान को अभी प्रारंभिक तौर पर सीज़ किया गया है। कई कार्रवाई के बाद युवक के खिलाफ फुड और ड्रग्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ ही उसके खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया जाएगा।

अशोभनीय आचरण के लिए प्रधानाचार्य निलम्बित

करौली, (नि.सं।) अशोभनीय आचरण के लिए राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय करौली की प्रधानाचार्या को निलम्बित किया गया है।

जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने बताया कि राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस वर्ष 2025 के जिला स्तरीय समारोह में राष्ट्रगान वाचन के दौरान अमर्यादित एवं अशोभनीय आचरण कर व्यवधान किए जाने के कारण राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय करौली की प्रधानाचार्य सावित्री मीना के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की है। जिला कलेक्टर द्वारा प्रधानाचार्य को तत्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया गया है। निलम्बितता से सावित्री मीना का मुख्यालय कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी टोडाभाई में रहेगा। उन्होंने बताया कि इस क्रम में

गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय समारोह में राष्ट्रगान वाचन के दौरान अमर्यादित एवं अशोभनीय आचरण कर व्यवधान किए जाने का मामला

गणतंत्र दिवस के सफल आयोजन के लिए विभिन्न बैठकों के दौरान एवं 10 जनवरी को जिला कलेक्टर कार्यालय के बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक 1899 के तहत मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी को राष्ट्रीय गान, मुख्य समारोह का संचालन एवं उद्घोषणा सहित शिक्षा विभाग के संबंधित कार्यक्रमों के नोटडल अधिकारी नियुक्त कर सुव्यवस्थित कार्यक्रम संचालन हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु इनके नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अभाव में शिक्षा विभाग कि उक्त अधीनस्थ कार्मिक द्वारा राष्ट्रगान वाचन के दौरान

जोर-जोर से चिल्लाकर अशोभनीय एवं अमर्यादित आचरण कारित कर व्यवधान उत्पन्न किया गया, जिसकी वजह से राष्ट्रगान को क्षीणक समय के लिए रोकना पड़ा। उक्त निर्देशों की अवहेलना के कारण मंच की गरिमा को दूषित करने के उक्त प्रयास के क्रम में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर लिखित एवं बयान मांगा गया है। वहीं उपखण्ड अधिकारी एवं पुलिस उपथीक्षक को भी तथ्यात्मक रिपोर्ट तुरंत प्रभाव से दाखिल करने के लिए निर्देशित किया गया है।

सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को लेक्चरर मिलेंगे

बीकानेर, (निर्सं।) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने लेक्चरर के विभिन्न विषय की डीपीसी वर्ष 2021-22 और 22-23 में चयनित कार्मिकों को काउंसलिंग के संबंध में शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन काउंसलिंग का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने बताया कि 28 जनवरी को काउंसलिंग के लिए अस्थाई वरीयता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। इसी श्रृंखला में 28 से 30 दिसंबर तक अस्थाई वरीयता सूची के संबंध में प्राथमिकता श्रेणी के साक्ष्य एवं आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी। यह आपत्तियां चयनित कार्मिकों को संबंधित विषय के अनुसार निर्धारित ई-मेल आईडी पर भिजवानी होगी। अन्य ई-मेल आईडी पर प्रेषित प्रकरणों पर विचार नहीं किया जाएगा। 31 जनवरी को प्राथमिकता श्रेणी के साक्ष्य एवं आपत्तियों का निर्धारण और अंतिम रूप